शासनादेश संख्या– 2056 /68–4–2018 दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का आयोजन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त, गाइड लाइन्स, प्रकिया और समय सारिणी

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं में शैक्षिक गुणवत्ता को विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो में रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राज्य स्तर पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया जायेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये स्नातक, प्रशिक्षित तथा प्राथमिक स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।

(ख) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु 69000 पदों के सापेक्ष आयोजित की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट/बढ सकती है। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी।

2- परीक्षा संस्था

शासनादेश सं0– 4029/15–11–2017 दिनांक 24.11.2017 द्वारा "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा संस्था के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की इकाई "सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज, उ0प्र0 प्रयागराज" को नामित किया गया है। परीक्षा निकाय के रूप में नामित परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने हेतु बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभागों द्वारा भौतिक, मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उक्त परीक्षा से सम्बन्धित प्रारम्भ से अंत तक प्रत्येक कार्यवाही ससमय पूर्ण करायी जायेगी।

3– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यमः–

1. उक्त परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित/निर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन प्राप्त किया जायेगा। ऑन लाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा अभ्यर्थियों को निर्गत किये जायेगे।
2. ऑन लाइन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे।

4– आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, आयु एवं निवास –

(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली 2018 के नियम–08 में उल्लिखित शैक्षिक, प्रशिक्षण उत्तीर्ण भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्राथमिक स्तर

Scanned by CamScanner

की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019" में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम अर्हता कक्षा–1 से 5 के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 23.08.2010, 29.07.2011, 12.11.2014, 28.11.2014 (एपेंडिक्स–2 की प्रस्तावना 1.2 में उल्लिखित) तथा दिनांक 28.06.2018 में निर्धारित अर्हताधारी "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019" में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(3) **आयु–** प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलों में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष अधिक होगी।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए आयु की उच्चतर सीमा में छूट '' यदि सेना के किसी भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है, और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।'' लेकिन अभ्यर्थी की वास्तविक आयु अधिवर्षता आयु (62 वर्ष) से अधिक नही होनी चाहिए।

(3) विकलांग अभ्यर्थियों के मामलें में उच्चतर आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी किन्तु किसी भी दशा में नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक नही होगी।

(4) शिक्षामित्र के मामले में अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक होगी।

(4) **निवास –** ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो, तथा या तो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों अथवा आवेदन की तिथि के पूर्व उत्तर प्रदेश में निरन्तर 05 वर्ष से स्थायी रूप से निवास कर रहे हो। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी –

(i) इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

(ii) बी0एड0 एवं डी0एड0 (विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

Scanned by CamScanner

5— <u>सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा की संरचना व विषय वस्तुः—</u>

परीक्षा का समयः 2:30 घंटे (11 बजे से 13:30 बजे तक) पूर्णांक : 150

प्रश्न का प्रकारः बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्याः 150

विषयवस्तु का स्तरः

(1) भाषाः हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन (कक्षा 12 स्तर तक)।

(2) शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति —(डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम स्तर तक)।

विषय	पाठ्यक्रम	अंक
भाषा हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी	व्याकरण एवं अपठित गद्यांश पद्यांश, Grammar, Comprehension	40
विज्ञान	दैनिक जीवन मे विज्ञान, गति बल, ऊर्जा, दूर, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएँ	10
गणित	अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएँ, दशमलव, स्थानीयमान, भिन्न, ब्याज, लाभ—हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखण्ड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल औसत आयतन, अनुपात, सर्वसमिकाये, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी।	20
पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन	पृथ्वी की सरंचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक सम्पदा, अक्षांश और देशान्तर, सौरमण्डल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सडक सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन।	10
शिक्षण कौशल	शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धान्त, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारम्भिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरम्भिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशासन	10
बाल मनोविज्ञान	वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना सीखने के सिद्धान्त तथा कक्षा—शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था।	10
सामान्य ज्ञान / समसामयिक घटनाएँ	समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएँ—अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाएँ स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएँ, अन्तराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार / खेल—कूद, भारतीय, संस्कृति एवं कला आदि।	30
तार्किक ज्ञान	Analogies, assertion and reason, binary logic, classification, clocks and calendars, coded inequalities coding-decoding,	5

Scanned by CamScanner

	critical reasoning, cubes number series, puzzles, symbols and notations, venn diaagrams and dice, data interpretatino, direction sense test, grouping and selections, inferences, letter series	
सूचना तकनीकी	शिक्षण कौशल विकास, कक्षा–शिक्षण तथा विद्यालय प्रबन्धन के क्षेत्र मे सूचना तकनीकी कम्प्यूटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ओ0ई0आर0 (ओपन एजुकेशनल रिसोर्स), शिक्षण मे उपयोगी ऐप्स, डिजिटल, शिक्षण–सामग्री के उपयोग की जानकारी	5
जीवन कौशल/ प्रबन्धन एवं अभिवृत्ति	व्यवसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका (सुविधा–प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता), सवैधानिक और मानवीय मूल, दण्ड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग।	10

6. प्रश्न पत्र की भाषा – प्रश्न पत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भाषा में होगा।

7. परीक्षा परिणाम –

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जायेगा।

(2) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करना किसी व्यक्ति को भर्ती/रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदण्डों में से एक है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन सं0 भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करें ।

(4) अभ्यर्थी को परीक्षा के समय निर्गत उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के कॉलम में काले किये गये गोले के आधार पर ही अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) का मूल्यांकन किया जायेगा। परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकन से सम्बन्धित प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उपलब्ध करायी गयी प्रश्न पुस्तिका में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों को अनुसरण करें ।

8. प्रवेश पत्र का प्रेषणः–

अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा से पूर्व निर्धारित वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जायेंगे, जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड करेंगे। इस डाउनलोडेड प्रवेश पत्र के साथ ही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र नही भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थी को परीक्षा देनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को निर्धारित परीक्षा केन्द्र से इतर परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने की अनुमति नही दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

अभ्यर्थियों द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में एक से अधिक बार ऑन लाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा पूरित किये गये अंतिम ऑन लाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर ही ऑन लाइन आवेदन को मान्य करते हुए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा।

09. **परीक्षा का आयोजन** – परीक्षा समस्त मण्डल मुख्यालयों के जनपद पर आयोजित होगी।

10— **परीक्षा केन्द्र का निर्धारण –**

(i) "**सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019** मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति के निर्देशन एवं देखरेख में मण्डल स्तर पर शुचितापूर्वक आयोजित/सम्पन्न करायी जायेगी। मण्डल स्तर पर परीक्षा संचालन हेतु निम्नवत् **समिति पूर्णतः सक्षम एवं उत्तरदायी होगी। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगाः–**

(क)	जिलाधिकारी (मण्डल मुख्यालय का जनपद)	–	अध्यक्ष
(ख)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
(ग)	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	–	सदस्य
(घ)	प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	–	सदस्य
(ड.)	मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)	–	सदस्य
(च)	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य सचिव
(छ)	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य

(ii) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में राजकीय, सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0ई0 और सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों को ही परीक्षाकेन्द्र बनाया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर स्थित अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त तथा अच्छी ख्याति के माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा आयोजन हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण शहरी क्षेत्र में कराया जायेगा, जिससे सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो सके।

(iii) परीक्षा केन्द्र ऐसे इण्टर कालेज/डिग्री कालेज को बनाया जायेगा जो अच्छी ख्याति के हों और जिनमें पर्याप्त संस्थागत सुविधायें यथा सीसीटीवी कैमरे, बड़े हवादार कक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, पंखे, पीने के पानी तथा शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध हों। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना आवश्यक है। सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र का प्राचार्य/प्रधानाचार्य केन्द्र व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेगा। समिति द्वारा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु न्यूनतम 500 अभ्यर्थी आवंटित किये जायेंगे।

(iv) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार मण्डल के आवेदकों की संख्या सम्बन्धित मण्डल मुख्यायल के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक/सचिव, केन्द्र निर्धारण समिति को संसूचित की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त संख्या के आधार पर जनपद में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी दोनों में) समिति के अनुमोदनोपरांत सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned by CamScanner

11— परीक्षा के पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकों तथा सम्बन्धित अन्य अधिकारियों की बैठक :—

(i) जिलाधिकारी परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सभी केन्द्र व्यवस्थापकों की संयुक्त बैठक करेंगे जिनमें परीक्षा केन्द्रों की सुचारू व्यवस्था तथा वहां उपलब्ध संस्थागत सुविधाओं तथा परीक्षा में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की रणनीति तैयार की जायेगी। परीक्षा नकलविहीन तथा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का दायित्व भी जिलाधिकारी का होगा।

(ii) उक्त परीक्षा अत्यन्त संवेदनशील है, अतः मण्डलायुक्त का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने मण्डल में उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं शुचिता के साथ सम्पन्न कराने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायेंगे। मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल से सम्बन्धित सूचना मण्डलायुक्त को देंगे। मण्डलायुक्त द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने पर रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

12. प्रश्नपत्रों का प्रेषण तथा उनका रख–रखावः—

(1) सभी मण्डल मुख्यालय के जनपद पर परीक्षा तिथि से तीन दिन पूर्व प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) एवं उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को संयुक्त रूप से प्राप्त करा दी जायेगी जिन्हें कोषागार के डबल लॉक में सुरक्षित रखा जायेगा।

(2) प्रश्न पुस्तिकाओं (टेस्ट बुकलेट) तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट)को परीक्षा वाले दिन डबल लॉक से प्राप्त कर उन्हें परीक्षा केन्द्रों पर समय से पूर्व सुरक्षित पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(3) परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट दो घंटे पूर्व केन्द्र व्यवस्थापक को अनिवार्यतः उपलब्ध करा दिये जायेंगे। प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) परीक्षा केन्द्र पर जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेस्टस की उपस्थिति में केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षक के सामने खोला जायेगा तथा वीडियोग्राफी रिकार्डिग भी की जायेगी तथा इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायेंगे। परीक्षा सम्पन्न हो जाने के उपरांत सदस्य सचिव (जिला विद्यालय निरीक्षक) द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी को दी जायेगी।

(4) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नामित स्टेटिक मजिस्ट्रेट की देख–रेख में सम्पादित करायी जायेगी।

(5) परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थियों के SCAN किये हुए फोटोयुक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराये जायेंगे। उपस्थिति पत्रक में उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) का क्रमांक अंकित किया जायेगा एवं आवेदक के हस्ताक्षर के साथ–साथ अंगूठा निशान भी यथा स्थान लिया जायेगा।

(6) परीक्षा समाप्त होने के बाद केन्द्र व्यवस्थापक अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रयुक्त उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) के बंडल के अन्दर सील्ड करके उपलब्ध करायेंगे। अनुपस्थिति विवरण तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा जिसमें से एक प्रति केन्द्र व्यवस्थापक अपने

Scanned by CamScanner

पास सुरक्षित रखेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के दौरान एजेन्सी को अनुपस्थित अभ्यर्थियों का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे किसी त्रुटि की सम्भावना न रहे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) में वांछित प्रविष्टियों को रिक्त (Blank) छोड़े जाने की सम्भावना बनी रहती है, अतः परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों का उत्तरदायित्व होगा कि अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) में अंकित की गयी प्रविष्टियों का मिलान कर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें।

13. परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया और उत्तर पत्रक(ओ0एम0आर0 शीट) का प्रयोग :-

क. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया –

(1) परीक्षा कक्ष/हॉल परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल खुलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए।

(2) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति तथा निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को साथ लाना अनिवार्य होगा –

(i) प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र

(ii) प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति

(iii) उ0प्र0 शिक्षक पात्रता परीक्षा/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र

(3) जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश–पत्र के साथ आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पश्चात् आता है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित सीटिंग प्लान के अन्यत्र/विपरीत बैठने वाले अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(6) अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/कक्ष के भीतर प्रवेश–पत्र तथा काले बॉल प्वांइट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य–सामग्री, कैलकुलेटर, डॉकुपेन, स्लाइड रूलर, लॉग टेबल तथा कैलकुलेटर की सुविधा वाली इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मुद्रित अथवा लिखित सामग्री, कागज के टुकड़े, मोबाइल फोन, पेजर अथवा किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त में से कोई भी सामान पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी को 'अनुचित तरीके' के रूप में माना जाएगा और उसकी विद्यमान परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा (परीक्षाओं) के लिए भी विवर्जित कर दिया जाएगा और वह सामग्री भी जब्त कर ली जाएगी।

(7) अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड बोर्ड अथवा एक क्लिपबोर्ड लेकर आएं जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, ताकि परीक्षा कक्ष/हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह के समतल न होने की स्थिति में भी उन्हें उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) पर अपने उत्तर अंकित करने अथवा गोले भरने में कोई कठिनाई न हो। इसे परीक्षा निकाय/परीक्षा केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(8) परीक्षा हॉल/कक्ष में धूम्रपान करना, गुटका चबाना, थूकना आदि सख्त मना है।

Scanned by CamScanner

(9) पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) दी जाएगी। जिसमें ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक रखा होगा।

(10) प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्राप्त होने के तुरंत बाद अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। वे तब तक प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) को नहीं खोलेंगे, जब तक कि निरीक्षक द्वारा ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया हो। घोषणा होने से पूर्व उसकी सील को न खोलें/तोड़ें।

(11) प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्रथम पृष्ठ पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) को हल करने तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) भरने के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ओ0एम0आर0 पत्रक भरने से पूर्व इन महत्वपूर्ण अनुदेशों का अनुसरण अवश्य करें।

(12) मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी के उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) की गैर–अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट** दर्ज करायी जायेगी तथा परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा। यदि केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में शिथिलता बरती जाती है तो केन्द्र पर तैनात स्टेटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक केन्द्र व्यवस्थापक के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायेंगे।

(13) उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) के बण्डल तैयार करते समय बण्डल में निर्धारित संख्या में उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) रखे गए है इस आशय का प्रमाण पत्र केन्द्र पर उपस्थित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/पर्यवेक्षक द्वारा भी दिया जायेगा।

ख. परीक्षा से पूर्व महत्वपूर्ण अनुदेश

(1) पेपर के आरंभ होने से पांच मिनट पूर्व अभ्यर्थी को टेस्ट–बुकलेट की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे अपना उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) सावधानीपूर्वक निकालेंगे। अभ्यर्थी को सावधानी से जांच करनी चाहिए कि उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) पर अंकित टेस्ट–बुकलेट कोड वही है जो टेस्ट–बुकलेट पर अंकित है। इनमें भिन्नता होने के मामले में, अभ्यर्थी को तत्काल ही इसकी सूचना टेस्ट–बुकलेट और उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) को बदलने के लिए कक्ष निरीक्षक को देनी चाहिए।

(2) इसके पश्चात अभ्यर्थी उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) पर अपने विवरण केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखेंगे। पेंसिल के प्रयोग की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई पेंसिल का प्रयोग करता है, तो उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस चरण को पूरा करने के पश्चात, अभ्यर्थी निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।

(3) परीक्षा ठीक उसी समय पर आरंभ होगी जिसका उल्लेख प्रवेश–पत्रक में किया गया है तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।

(4) परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश–पत्रक की जांच करेंगे ताकि वे प्रत्येक अभ्यर्थी की पहचान के बारे में संतुष्ट हो सकें। निरीक्षक उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) पर दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

Scanned by CamScanner

ग. अनुचित तरीके :

(1) परीक्षा कक्ष/हॉल में यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों का प्रयोग करता हुआ/वार्तालाप या व्यवधान उत्पन्न करता हुआ अथवा किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पाया गया, तो उसे आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा तथा उम्मीदवारी रद्द कर उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।

(2) पेपर को समाप्त करने के उपरांत तथा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को पुनः यह जांच कर लेनी चाहिए कि ओ0एम0आर0 में अपेक्षित सभी विवरण सही–सही लिखे गए हैं।

(3) परीक्षा के आरंभ में तथा आधा समय बीतने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के समय से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा तब अभ्यर्थी को अपने उत्तर अंकित करना बंद कर देना होगा।

(4) अभ्यर्थी यह जांच करेंगे कि प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट–बुकलेट) में उतने ही पृष्ठ हैं जितने कि प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखे हुए हैं। अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) से कोई पृष्ठ नहीं निकालेंगे तथा यदि उसे अपनी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) से कोई पृष्ठ निकालते हुए पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा तथा अभ्यर्थी आपराधिक कार्रवाई का पात्र होगा।

(5) अभ्यर्थी को उपस्थिति–पत्रक में उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।

घ. रफ कार्य

अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका (टेस्ट बुकलेट) में केवल रफ कार्य हेतु दिये गये निर्धारित स्थान पर ही समस्त रफ कार्य करेंगे। दिये गये निर्धारित स्थान के अतिरिक्त रफ कार्य किये जाने की अनुमति नहीं है।

14. परीक्षा उपरान्त उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) का प्रेषण :–

(1) परीक्षा एक दिवसीय होगी। परीक्षा संपन्न हो जाने के उपरान्त, परीक्षा के दिन ही परीक्षा केन्द्रों पर ओ0एम0आर0 पत्रक को उपस्थिति/अनुपस्थिति विवरण एवं अन्य परीक्षा सामग्री के साथ अलग–अलग भलीभांति सुरक्षित रूप से सील्ड कराकर कोषागार के डबल लॉक में पहुँचाने तथा उसी दिन कोषागार के डबल लॉक से उत्तर पत्रकों के सील्ड बंडल को सुरक्षित रूप से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट/मजिस्ट्रेट्स तथा जिला विद्यालय निरीक्षक का संयुक्त रूप से होगा।

(2) उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) को सुरक्षित पहुॅचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा पर्याप्त पुलिस स्कोर्ट एवं मजिस्ट्रेट की व्यवस्था तथा अन्य अपेक्षित आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) को गंतव्य तक पहुंचाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(3) उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) तीन प्रतियों में होगा, जिसमें प्रथम प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ मूल्यांकन केन्द्र हेतु सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म के लिए सफेद रंग के कपड़े में सील्ड किया जायेगा। द्वितीय प्रति अनुपस्थिति विवरण के साथ लाल रंग के कपड़ें में सील्ड किया जायेगा तथा तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेंगे। समस्त उत्तर पत्रकों (उत्तर पत्रकों के सील्ड बंडल) को परीक्षा समाप्त होने पर सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय में प्राप्त कराया जायेगा।

(3) टेस्ट बुकलेट परीक्षा केन्द्र पर केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा दो कक्ष निरीक्षकों की उपस्थिति में खोले जाने के समय एवं ओ0एम0आर0 पत्रक को सील्ड किये जाने के पश्चात् वीडियो रिकार्डिंग की सीडी, प्रमाण पत्र अन्य प्रपत्रों के साथ समस्त लिफाफे हरे रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्राप्त कराया जायेगा।

(5) परीक्षा में अप्रयुक्त टेस्ट बुकलेट/उत्तर पुस्तिका पीले रंग के कपड़े में सील्ड कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्राप्त कराया जायेगा।

15. परीक्षा केन्द्रों पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्थाः–

(1) मण्डल मुख्यालय के जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु तथा प्रश्नपत्र के रख–रखाव, सचलदल तथा पर्यवेक्षण आदि हेतु रू0 5000.00 की आकस्मिक धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) परीक्षा केन्द्र हेतु व्ययादि की व्यवस्थाः–
परीक्षा संचालन हेतु प्रति छात्र रू0 15.00 की दर से आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जायेगा। जो न्यूनतम रू0 5000.00 एवं अधिकतम रू0 20000.00 का होगा।

(3) मानदेय के सम्बन्ध में सम्यक विचारोंपरान्त पृथक से आदेश निर्गत किये जायेगे। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के पश्चात् 03 दिवस के अन्दर परीक्षा के सफल संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों, मण्डल मुख्यालयों एवं जनपद स्तर तथा अन्य वितरित किये जाने हेतु मानदेय के सम्बन्घ में सम्यक् प्रस्ताव उपलब्ध करायेगे।

16. सहायक अध्यापकों की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क :–

वर्ग	परीक्षा शुल्क
सामान्य/अ.पि.व. श्रेणी	रू0 600/–
अ.जा./अ.ज.जा	रू0 400/–
विकलांग	निःशुल्क

Scanned by CamScanner

आवेदन शुल्क से प्राप्त धनराशि का व्यय परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए वित्त विभाग द्वारा जारी मितव्ययता के सिद्धान्तों के अनुसार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा किया जायेगा।

17. ऑन लाइन आवेदन –

(1) सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा एन0आई0सी0 लखनऊ के सहयोग से ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। ऑन लाइन आवेदन हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा कराया जायेगा।

(2) ऑन लाइन आवेदन करने के लिए तकनीकी एवं परिचालन सम्बन्धित निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

(3) अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को सबमिट(Submit) /फाइनल सेव (Final save) करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले।

(4) अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को सबमिट(Submit) /फाइनल सेव (Final save) करने से पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि – **"मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गयी प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है तथा मै अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरान्त मुझे अपने आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर देय नहीं होगा।"**

(5) उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरान्त अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गये OTP को Verify करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नं0 का अंकन करें।

(6) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण सबमिट (Submit) /फाइनल सेव (Final save) करने के उपरान्त किसी ब्यौरे में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। किसी भी कारण से पुष्टिकरण पृष्ठ में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए किसी त्रुटिपूर्ण ब्यौरे से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए परीक्षा संस्था उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और भविष्य में ऑनलाइन कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

(7) आवेदन शुल्क के भुगतान (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर) के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(8) अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन किये जाने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किये गये अंतिम ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए अन्य आवेदन निरस्त कर दिये जायेगें, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

Scanned by CamScanner

(9) एक बार शुल्क का भुगतान करने पर उसे किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस अथवा भविष्य की परीक्षा में समायोजित नहीं किया जाएगा।

(10) यदि किसी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जायेगा कि अभ्यर्थी की पात्रता प्रमाणित हो गई है, इससे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित की जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट होना चाहिए और यदि वह दिए गए योग्यता मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं है तो वे आवेदन न करें और फिर भी आवेदन करते हैं तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

(11) भ्रामक, गलत अथवा असत्य सूचना देने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(12) मशीन के माध्यम से स्कैनिंग की जाने वाली उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अत्यंत सावधानी बरती जाती है व इनकी बारंबार संवीक्षा की जाती है। ओएमआर उत्तर पत्रक की पुनः जांच, पुनः आंकलन, पुनः मूल्यांकन अथवा संवीक्षा नहीं की जायेगी एवं इसके लिए निवेदन व इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(13) विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में निम्नलिखित निर्देश लागू हैं:– दृष्टि बाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक की सुविधा दी जा सकती है जो लिखने में अथवा गोला काला करने में सर्वथा असमर्थ हो किन्तु श्रुत लेखक को अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं लायेगा जिसकी शैक्षिणिक योग्यता हाईस्कूल से अधिक नही होगी :–

(14) जिस वर्ष परीक्षा हो रही है उस वर्ष की हाईस्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही श्रुत लेखक हो सकते हैं।

(15) विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत के विकलांग होने का प्रमाण पत्र साथ में लाना होगा

(16) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(17) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को भ्रम की स्थिति से बचने के लिए परीक्षा से पूर्व विशेषतः भूतल पर उचित बैठने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ।

(18) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका(टेस्ट बुकलेट) देने का सही समय चिन्हित किया जाना चाहिए और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के प्रश्न पुस्तिका(टेस्ट बुकलेट) का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

18. <u>परीक्षा के आयोजन हेतु अन्य व्यवस्थायें</u> :–

(1) परीक्षा हेतु एक ऑफीशियल वेबसाइट का निर्माण एवं उसका संचालन एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग एवं स्टेट डाटा सेन्टर के नियन्त्रणाधीन सर्वर पर परीक्षा संस्था की देख–रेख तथा निर्देशन में किया जायेगा।

(2) परीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किसी बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला जायेगा, जो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

(3) अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा संस्था द्वारा एकीकृत रूप से प्रदेश के बहुप्रसारित कम से कम दो राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी एवं एक अंग्रेजी के समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों मे विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

19. <u>छंटाई के नियम</u> :– उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) सहित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के परिणाम की घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक परीक्षा संस्था में संरक्षित रखे जायेंगें, तद्पश्चात् उसे बीड आउट कर दिया जायेगा।

20. <u>परीक्षाफल प्रकाशन</u> :–

(1) उत्तर पत्रकों (ओ0एम0आर0 शीट) का मूल्यांकन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा चयनित कम्प्यूटर फर्म द्वारा कराया जायेगा तथा जो अभ्यर्थी सफल घोषित होंगे उनके अनुक्रमांक से सम्बन्धित उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) के मूल्यांकन **<u>की क्रास चेकिंग करने</u>** के पश्चात् सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत परिणाम घोषित किया जायेगा।

(2) उत्तर पत्रकों (ओ0एम0आर0 शीट) की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त **''परीक्षा संस्था''** द्वारा परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त नियत अवधि के अन्दर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाफल के घोषित होने की सूचना दी जायेगी।

(3) कानूनी अधिकार क्षेत्र सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी विवाद केवल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

Scanned by CamScanner

सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित समय–सारिणी के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा:–

''सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019'' को सम्पन्न कराये जाने हेतु समय– सारिणी

क्र0 सं0	कार्यक्रम का विवरण	कार्य सम्पन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण	
1.	विज्ञापन का प्रकाशन	05.12.2018	
2.	आनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि	06.12.2018 अपराह्न से	
3.	आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	20.12.2018 (सायं 06:00 बजे तक)	
4.	आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	21.12.2018	
5.	आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अन्तिम तिथि	22.12.2018 (सायं 06:00 बजे तक)	
6.	परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मण्डल मुख्यालय जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि	21.12.2018	
7.	मण्डल मुख्यालय जनपद के जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की तिथि	23.12.2018	
8.	मण्डल मुख्यालय के जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारित करके केन्द्रों की सूची छात्र आवंटन सहित (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी दोनों) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराने की तिथि	24.12.2018	
9.	केन्द्रों की सॉफ्ट कापी एन0आई0सी0 लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि	26.12.2018	
10.	प्रवेश पत्र Website पर load करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में load होने की सूचना की विज्ञप्ति	31.12.2018	
11.	एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त कराने की तिथि	02.01.2019	
12.	अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केन्द्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि	04.01.2019	
13.	डबल lock में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका जनपद मुख्यालय पर पहुचॉने की तिथि	04.01.2019	
14.	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि	**06.01.2019**	**प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:30 बजे तक**
15.	परीक्षा समाप्ति के उपरान्त ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की तिथि	07.01.2019	
16.	उत्तर माला को Website पर जारी करने की तिथि	08.01.2019	
17.	वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	11.01.2019 (सायं 06:00 बजे तक)	
18.	प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके	18.01.2019	

Scanned by CamScanner

	निराकरण करने की तिथि	
19.	आपत्ति पर विषय–विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि	19.01.2019
20.	उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराके परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	22.01.2019

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट – I

(क) परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु अनिवार्य सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं

शैक्षिक योग्यता	कोड
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) से मान्यता के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय डी0एल0एड0 (पूर्व प्रचलित नाम बी0टी0सी0) उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षामित्रों का द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	2
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.)/भारतीय पुनर्वास परिषद (R.C.I) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा (डी.एड.) उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	3
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	4
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित दो वर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू विशेष प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	5
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष तथा चार वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0) के उत्तीर्ण होने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	6
विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक **(बी0एड0)** (जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो), के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0)/केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी0टी0ई0टी0) उत्तीर्ण अभ्यर्थी	7

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट – II

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश –
सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार से अपेक्षा है:–

1. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरते समय नवीनतम रंगीन फोटो (जो 6 माह की अवधि से अधिक पुराना न हो) हस्ताक्षर युक्त (केवल जेपीईजी प्रारूप में) का स्कैन अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी की तस्वीर (जेपीईजी प्रारूप) और हस्ताक्षर स्कैन करके रखने की सलाह दी जाती है।
2. सूचना बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसमें दी गई सभी अपेक्षाओं से अवगत होना।
3. परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता से संतुष्ट होना;
4. किसी भी वेबसाइट पर जाकर पूरा ब्योरा देकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना।
5. निर्दिष्ट बैंक की नवीनतम तकनीक के माध्यम से शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आश्वस्त होना।
6. आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड सहित पूरा डाक का पता लिखें।
7. **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि**

- वेबसाइट पर लॉगआन करें ।
- "Apply on line" लिंक पर जाएं और उसे खोलें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेशों एवं प्रकिया को ध्यानपूर्वक पढें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित चार लिंक दिए गए हैं:

(क) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग–। भरें और पंजीकरण संख्या नोट करें।
(ख) शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट बैंक के नवीनतम तकनीक के माध्यम से करें।
(ग) ऑनलाइन आवेदन फार्म भाग–III में स्कैन फोटो इमेज अपलोड करें।
(घ) पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लें और अपने पास सुरक्षित रखें

- प्रथम लिंक को खोलें, अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और सूचना प्रस्तुत करें। इस पृष्ठ के अंत में दो लिंक "Next" और "Reset" दिए गए हैं। यदि आप संतुष्ट है कि भरी गई सूचना सही है तब "Next" क्लिक करें अन्यथा "Reset" पर क्लिक करें। "Next" खोलने के बाद, प्रस्तुत सूचना की जांच की जा सकती है और यदि सूचना सही है तो "Final submit" के लिए जाएं अन्यथा "Back" के लिए जाएं।
- डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः शुल्क भुगतान के लिए तीसरे लिंक के लिए ले जाएगा।
- अनुदेश का पालन करें और शुल्क प्रस्तुत करें। शुल्क की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लेने के लिए चौथे लिंक पर ले जाएगा।
- अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को सबमिट(**Submit**) /फाइनल सेव (**Final**

Scanned by CamScanner

save) करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर, ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर ले।

- आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान, और पुष्टीकरण पृष्ठ का प्रिंट लेने के लिए सभी लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्रस्तुत करने शुल्क का भुगतान करने और कम्प्यूटर सृजित पुष्टिकरण पृष्ठ के प्रिटिंग की सुविधा प्रत्येक स्लॉट के अंतिम दिवस को निर्धारित अवधि में बंद कर दी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रकिया पूर्ण करना आवश्यक है।
- नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सृजित पुष्टीकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को प्राप्त नही होता है अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट – III

जनपद कोड :क्रम संख्या ही कोड है

क्र0सं0	जनपद का नाम	क्र0सं0	जनपद का नाम
1.	आगरा	39.	झाँसी
2.	हाथरस	40.	ललितपुर
3.	अलीगढ	41.	जालौन
4.	मथुरा	42.	वाराणसी
5.	फिरोजाबाद	43.	चन्दौली
6.	मैनपुरी	44.	जौनपुर
7.	एटा	45.	गाजीपुर
8.	बरेली	46.	मिरजापुर
9.	बदाँयू	47.	सोनभद्र
10.	शाहजहाँपुर	48.	संतरविदासनगर
11.	पीलीभीत	49.	आजमगढ़
12.	मुरादाबाद	50.	मऊ
13.	अमरोहा	51.	बलिया
14.	रामपुर	52.	गोरखपुर
15.	बिजनौर	53.	महराजगंज
16.	कानपुरनगर	54.	देवरिया
17.	कानपुरदेहात	55.	कुशीनगर
18.	कन्नौज	56.	बस्ती
19.	फर्रूखाबाद	57.	संतकबीरनगर
20.	औरैया	58.	सिद्धार्थनगर
21.	इटावा	59.	अयोध्या
22.	मेरठ	60.	अम्बेडकरनगर
23.	बागपत	61.	सुल्तानपुर
24.	गाजियाबाद	62.	बाराबंकी
25.	गौतमबुद्धनगर	63.	गोण्डा
26.	बुलन्दशहर	64.	बलरामपुर
27.	मुजफ्फनगर	65.	बहराइच
28.	सहारनपुर	66.	श्रावस्ती
29.	लखनऊ	67.	चित्रकूट
30.	उन्नाव	68.	बांदा
31.	रायबरेली	69.	महोबा

Scanned by CamScanner